

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—भारत अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए बन गया ‘स्वर्ग’,
इजरायली नागरिक की याचिका खारिज

Publisher

Published on 07 Oct 2025



सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा कि देश ऐसे लोगों के लिए ‘स्वर्ग’ बन गया है। यह टिप्पणी उस याचिका के संदर्भ में आई, जिसे एक इजरायली नागरिक ने दायर किया था। याचिका में वह अपने रूसी साथी और दो बेटियों को रूस वापस भेजने से रोकने की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अवैध रूप से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की स्थिति चिंताजनक है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध प्रवास न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि सामाजिक और कानूनी ढांचे पर भी दबाव डालता है। न्यायमूर्ति ने कहा कि भारत में लंबे समय तक रह रहे विदेशी नागरिक, जो कानूनी प्रक्रिया के बिना रह रहे हैं, वे देश में कई सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। कोर्ट के अनुसार, यह स्थिति देश के नियम और प्रवासन नीतियों के प्रति गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।

इजरायली नागरिक की याचिका विशेष रूप से संवेदनशील मामला थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि उनकी रूसी पार्टनर और बेटियों को रूस वापस भेजने से उनके पारिवारिक संबंधों को नुकसान होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को मान्यता नहीं दी और कहा कि कानून और प्रवासन नीतियों का पालन सर्वोपरि है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत मामलों को देखते हुए अवैध प्रवास को कानूनी रूप से लंबित रखना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक कई बार विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक तंत्र पर बोझ बढ़ता है, बल्कि समाज में अवैध प्रवास के प्रति गलत संदेश भी जाता है। न्यायालय ने कहा कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो भारत अनियंत्रित अवैध प्रवासियों के लिए आकर्षक केंद्र बन सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह टिप्पणी केवल एक इजरायली नागरिक की याचिका तक सीमित नहीं है। यह भारत में बढ़ते अवैध प्रवास के व्यापक मुद्दे को उजागर करती है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है और कई लोग सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लंबे समय तक भारत में रह रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने और **अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने** का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रवास कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना अत्यंत आवश्यक है ताकि भारत एक ऐसा देश न बन जाए, जिसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक केवल सुरक्षित आश्रय मानें।

कानून विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भारत की प्रवासन नीति में संभावित सख्ती की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब प्रशासनिक निकायों को सक्रिय होकर अवैध प्रवास के मामलों की निगरानी करनी होगी। यह कदम न केवल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि अवैध प्रवास के बढ़ते प्रभाव को भी रोकेगा।

साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत मामलों में संवेदनशीलता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून की अवहेलना को कभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस दृष्टिकोण से यह फैसला भविष्य में भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि उन्हें कानूनी ढांचे का पालन करना आवश्यक है।

विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत **सिर्फ स्वागत योग्य प्रवासियों के लिए ही सुरक्षित और लाभकारी देश होना चाहिए**, न कि उन लोगों के लिए, जो कानून का उल्लंघन कर देश में लंबे समय तक रह रहे हैं। यह निर्णय भविष्य में प्रशासनिक नीतियों और प्रवासन प्रक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता और कड़ाई ला सकता है।

अवैध प्रवासियों के लिए भारत का आकर्षण मुख्यतः **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं** के कारण बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि यदि अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो यह व्यवस्था का दुरुपयोग बन सकती है। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध प्रवासियों के खिलाफ **तत्काल और प्रभावी कार्रवाई** करें और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देश छोड़ने के लिए प्रेरित करें।

इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासनिक प्रयास और कड़े होंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे **परिवारिक मामले, व्यवसाय और अन्य व्यक्तिगत कारणों के बावजूद कानून के उल्लंघन को अनुमति न दें।**

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब तक के प्रवासन मामलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए अब “स्वर्ग” का यथार्थ समाप्त होना चाहिए और उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही अपने कार्यों और अधिकारों का पालन करना होगा।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह संदेश दिया है कि भारत **कानून के शासन वाला देश है, न कि अवैध प्रवासियों का आश्रय स्थल।** इजरायली नागरिक की याचिका खारिज कर, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत मामलों के बावजूद देश की सुरक्षा और कानूनी ढांचा सर्वोपरि हैं।